

पत्रांक-श्रम क०सं०-46/2025-१२

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गयाजी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० ललिता देवी, 39, नरेश यादव, पिछड़ा वर्ग	नरेश यादव, (पति), 84957969 7047	1373, 10.10.2025 658, 08.05.2025	ग्रा०-सादिपुर, पो०-सोनधी, थाना-बुनियादगंज, प्रखण्ड-मानपुर, जिला-गयाजी 7033691848	1948010 0007174	BOB, BRB0 ALIG AY	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर
2	स्व० सोनू प्रजापत, 62, वशुदेव प्रजापत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कान्ति देवी, (पत्नी) 81661774 0216	1374, 10.10.2025 909, 23.06.2025	ग्रा०+पो०-बरमा, थाना+प्रखण्ड-गुरारू, जिला-गयाजी 7367099630	2746000 1000491 86	PNB, PUNB 02746 00	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट निर्माण श्रमिक
3	स्व० किशोर पासवान, 51, बसंत पासवान, अनु०-जाति	कमला देवी, (पत्नी) 23900974 8125	1374, 10.10.2025 1028, 17.07.2025	ग्रा०-पुरन बिगहा, पो०-जिन्दापुर, थाना-मगध युनिवर्सिटी, प्रखण्ड-बोधगया, जिला-गयाजी	4922001 7000929 78	PNB, PUNB 04922 00	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, टोटो (ई-रिक्शा) चलाने का कार्य

कुल :- रू० 2,30,000/-

(दो लाख तीस हजार रूपए) मात्र

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-46/2025-१९

पटना, दिनांक :- 15/01/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

15/01/2026  
Signed by Rohit Kumar

Date: 15-01-2026 11:33:44

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

Signed by Rajesh Bharti

Date: 16-01-2026 11:48:56

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक